# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः** शिविरा / माध्य / म.गाँ.प्रकोष्ठ / 66174 / वॉक इन इन्टरव्यू / 2024–25 / (E File-22810-10) **दिनांकः यथा हस्ताक्षर**

## विज्ञप्ति

विभागीय विज्ञप्ति क्रमांकः शिविरा / माध्य / म.गाँ.प्रकोष्ठ / 66174 / वॉक इन इन्टरव्यू / 2024–25 / (E File-22810) दिनांकः 11.07.2024 व 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के प्रावधानानुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदधारी कार्मिकों के शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की आमंत्रित किये थे।

उपरोक्त के संबंध में जिन कार्मिकों द्वारा न्यूनतम अंक प्राप्त किये गये है उन कार्मिकों मे से **वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक** पद हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से उनके दिये गये विकल्पों के जिलों में उनकी मेरिट तथा उक्त जिले में पदानुरूप संबंधित पद की रिक्तियों की संख्या प्रदर्शित की जा रही है।

विज्ञप्ति दिनांक 11.07.2024 व दिनांक 10.01.2025 अनुसार संबंधित कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अपने स्टाफ लॉगिन के माध्यम से **दिनांक 10.07.2025 से 11.07.2025 दोपहर 03:00 बजे तक** उनके द्वारा पूर्व में भरे गये जिलों के विकल्पों मे से किसी एक जिले के विकल्प का चयन किया जाना है। इसी के साथ ही आवेदक / कार्मिक के समस्त विकल्पों के जिलों की समस्त रिक्तियॉ भी प्रदर्शित होगी।

आवेदक / कार्मिक द्वारा चयन किये गये जिले से संबंधित रिक्तियों में से कार्मिक अपनी प्राथमिकता के क्रम मे समस्त रिक्त पदों को चुन सकेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से चयन हेतु प्रदत्त सहमति के आधार पर यदि कार्मिक द्वारा चुने गये जिले की रिक्तियों मे से समस्त रिक्तियों का विकल्प नहीं भरा जाता है और उसके द्वारा भरे गये विकल्पों में से किसी विद्यालय हेतु चयन नहीं होता है, तो उस जिले की शेष रिक्तियों मे से किसी भी विद्यालय में रेण्डम प्रक्रिया से विद्यालय आवंटन किया जायेगा।

कार्मिक द्वारा चयन किये गये जिले का आवंटन एवं तदोपरान्त विद्यालय का आवंटन उसकी वरीयता एवं रिक्तियों के अनुसार होगा।

अन्तिम रूप से जिले / विद्यालय का विकल्प नही करने वाले आवेदक / कार्मिक को आगामी प्रक्रिया में शामिल / विचार नहीं किया जायेगा।

**शेष शर्तें उक्त विज्ञप्ति दिनांकः 11.07.2024 व 10.01.2025 के अनुसार यथावत रहेगी।**

**(सीताराम जाट)**
**आइ.ए.एस.**
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ) समसा

**प्रतिलिपि** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

**1-** विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
**2-** निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
**3-** निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
**4-** निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्राशि) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
**5-** शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
**6-** वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी), शिक्षा संकुल, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
**7-** **समस्त** संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), माशि. व प्राशि / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / पीईईओ / यूसीईईओ / संस्था प्रधान।
**8-** उप निदेशक (शाला दर्पण प्रकोष्ठ), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर **उक्तानुसार कार्यवाही की जाने के सम्बन्ध में।**

**9-** सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
**10-** सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
**11-** रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक(वरिष्ठ) समसा

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :08-07-2025 07:30:02

RajKaj Ref No.: 16411713